2012:CGHC:10197

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Criminal Appeal No. 2012 of 1996

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

न्यायपीठः माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 2012/1996

रामभरोस उर्फ कोंदा

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूं

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दि. 22/08/2012 को सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

2012:CGHC:10197

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Criminal Appeal No. 2012 of 1996

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

न्यायपीठः माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 2012/1996

अपीलार्थीगण — रामभरोस उर्फ कोंदा
आत्मज भुखउ सतनामी,
आयु 33 वर्ष,
निवासी- नवागांव, पो.- मालखरोदा,
जिला- बिलासपुर, म.प्र. (अब छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थिति: श्रीमती रंजना जायसवाल, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 22.08.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा पारित किया गया:

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 255/95 में दिनांक 15 जुलाई, 1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदंड, और 5 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं प्रत्येक आरोप के तहत अर्थदंड व्यतिक्रम करने पर 1,000/- रुपये के अर्थदंड दंडादिष्ट किया गया है, इस निर्देश के साथ कि सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे।

2) संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं:—

मृतका-डोकरी बाई अपीलार्थी की चाची थी। वह एक वृद्ध महिला थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अपीलार्थी उसकी हिस्से की संपत्ति का उत्तराधिकारी था। वह अपीलार्थी के साथ ही निवास कर रही थी। अभियोजन का मामला यह है कि 10 और 11 फरवरी, 1995 की मध्यरात्रि में, अपीलार्थी ने मृतका की हत्या कर दी और उसके शव को अपने घर के पास स्थित एक *घुरवा* (गोबर और अपशिष्ट सामग्री फेंकने के लिए बनाया गया एक गहरा गड्ढा) में फेंक दिया। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने पुलिस थाने जाकर दि. 14.2.95 को एक संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/12) दर्ज कराई। अपीलार्थी के ही कहने पर मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/13) भी अभिलिखित की गई थी। अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी/5) अभिलिखित किया गया तथा अपीलार्थी की निशानदेही पर मृतका का शव जब्ती मेमो (प्रदर्श पी/4) के माध्यम से जब्त किया गया। उसकी निशानदेही पर एक पत्थर भी जब्त किया गया (जब्ती मेमो प्रदर्श पी/6)। पंचनामा (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव-परीक्षक-शल्य चिकित्सक ने मृतका के शरीर पर कई गंभीर चोटें पाईं और यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण कोमा और सिर पर लगी चोटें थीं। इसके अतिरिक्त जाइगोमैटिक, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल हड्डियों (कपाल की हड्डियों) में फ्रैक्चर पाए गए और यह प्रकृति में मानव वध था। शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/9 है। जब्त की गई वस्तुओं को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, सागर भेजा गया था, लेकिन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी। मृतका 10 फरवरी, 1995 की रात से लापता थी, इसलिए दिगंबर नामक व्यक्ति द्वारा लापता व्यक्ति की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसे दिनांक 13.2.95 को *सना* (प्रदर्श पी/18-सी) के रूप में प्रविष्ट किया गया था। आगे के अन्वेषण में यह पता चला कि अभियुक्त ने गरीबदास (अ.सा.-1) और विजय कुमार (अ.सा.-2) के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति किया था। इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और अभियोजन का पूरा मामला पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था।

अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों का अवलंब लिया है:—

(i) अपीलार्थी द्वारा गरीबदास (अ.सा.-1) और विजय कुमार (अ.सा.-2) के समक्ष की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति ;

(ii) अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर *घुरवा* से मृतका के शव की जब्ती; एवं

(iii) अपीलार्थी के पास मृतका की हत्या करने का हेतुक था, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात वह उसकी संपत्तियों का उत्तराधिकारी होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्वोक्त परिस्थितियों पर अवलंब लिया गया और यह अभिनिर्धारित किया कि यह सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध हो चुका है कि अपीलार्थी ने ही मृतका की हत्या की और उसके पश्चात शव को *घुरवा* में फेंक दिया, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दंड का पात्र था।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रंजना जायसवाल ने यह तर्क दिया कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति सिद्ध नहीं हुई थी; संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थी; यह सिद्ध नहीं हुआ था कि अपीलार्थी ने प्रकटीकरण कथन दिया था और अपीलार्थी की निशानदेही पर शव बरामद किया गया था; *घुरवा* एक खुले स्थान पर स्थित है और वहाँ सभी की पहुँच थी, इसलिए *घुरवा* से शव की बरामदगी के लिए अपीलार्थी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

(6) जहाँ तक संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में तर्क का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने **अग्नू नगेशिया विरुद्ध बिहार राज्य, एआईआर 1966 एससी 119** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-154 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में सारवान साक्ष्य नहीं है, लेकिन यदि सूचना देने वाले को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है, तो इसका उपयोग साक्ष्य अधि. की धारा-157 के तहत उसकी पुष्टि करने के लिए या धारा- 145 के तहत उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है। जहाँ अभियुक्त स्वयं प्रथम सूचना देता है, वहाँ उसके द्वारा सूचना देने का तथ्य साक्ष्य अधि. की धारा-8 के तहत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में उसके विरुद्ध ग्राह्य है। यदि सूचना संस्वीकारात्मक नहीं है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा-21 के तहत स्वीकृति के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य और सुसंगत है। किंतु पुलिस अधिकारी को अभियुक्त द्वारा दी गई संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना रिपोर्ट, साक्ष्य अधि. की धारा-25 के दृष्टिगत उसके विरुद्ध उपयोग नहीं की जा सकती।" सर्वोच्च न्यायालय ने **फद्दी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1964 एससी 1850; निसार अली विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1957 एससी 366 और दल सिंह विरुद्ध किंग एम्परर, एआईआर 1917 पीसी 25** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भी अवलंब लिया है। अतः, संस्वीकारात्मक प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) गरीबदास (अ.सा.-1) और विजय कुमार (अ.सा.-2) न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्षी हैं। गरीबदास (अ.सा.-1) पंचनामा और जब्ती का भी साक्षी था। उसने अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष कथित रूप से की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया। उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और लोक अभियोजक द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा की कंडिका में, हालांकि उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने उसके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी, लेकिन उसने यह भी जोड़ा कि अपीलार्थी ने यह सब पुलिस थाने में कहा था। विजय कुमार (अ.सा.-2) ने यह साक्ष्य दिया कि एक दिन सुबह, अपीलार्थी उसके घर आया और उसने बताया कि उसने अपनी

चाची (मृतका) की हत्या कर दी है। उस समय वहाँ सुधियारिन बाई (अ.सा.-3), गरीबदास (अ.सा.-1), घसिया राम (अ.सा.-4) और छेदीलाल (अ.सा.-6) आदि 7-8 व्यक्ति उपस्थित थे। अपीलार्थी ने बताया था कि उसने अपनी चाची पर पत्थर से प्रहार कर उसकी हत्या की है। मुख्य परीक्षा के कंडिका-3 में उसने यह साक्ष्य दिया कि अपनी मृत्यु से पहले, मृतका रात में सुधियारिन बाई (अ.सा.-3) के घर सोया करती थी। साक्षी का कथन दिनांक 14.2.95 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-161 के तहत अभिलिखित किया गया था। अपने धारा-161 के पूर्वोक्त कथन में, उसने अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया था। इसके विपरीत उसने यह कहानी बताई कि जब मृतका लापता थी, तब *दरोगा* किसी अन्य मामले के संबंध में उसके गाँव आए थे और उन्हें यह बात बताई गई थी, तब *दरोगा* ने उसे अपीलार्थी को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेजने को कहा था। सुधियारिन बाई (अ.सा.-3), घसिया राम (अ.सा.-4) और छेदीलाल (अ.सा.-6) ने भी विजय कुमार (अ.सा.-2) के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) गरीबदास (अ.सा.-1) और विजय कुमार (अ.सा.-2) के साक्ष्यों के मूल्यांकन में,हम पाते हैं कि विजय कुमार (अ.सा.-2) के समक्ष की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का तथ्य उसके डायरी कथन में एक लोप था, और गरीबदास (अ.सा.-1) ने इसे सिद्ध नहीं किया क्योंकि उसने कहा कि अपीलार्थी ने यह सब पुलिस थाने में बताया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संबंध में साक्ष्य ऐसे साक्षी/साक्षियों के मुख से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, जिनका अभियुक्त के साथ दूर-दूर तक कोई वैरभाव नहीं है, और जिनके संबंध में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो यह संकेत दे सके कि अभियुक्त पर असत्य कथन मढ़ने के पीछे उनका कोई हेतुक हो सकता है; यदि साक्षी द्वारा कहे गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध हैं और निर्विवाद रूप से यह दर्शाते हैं कि अभियुक्त ही अपराध का अपराधी है, तथा साक्षी द्वारा ऐसी कोई बात नहीं छिपाई गई है जो इसके विरुद्ध जाती हो; तो ऐसे साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर कठोर परीक्षण के बाद, यदि वह उस परीक्षण में खरा उतरता है, तो न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और वह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, हम पाते हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि यह सिद्ध हो चुका था कि अपीलार्थी ने गरीबदास (अ.सा.-1)

और विजय कुमार (अ.सा.-2) के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी। हमारा यह विचार है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का तथ्य सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध नहीं हुआ था।

(9) जहाँ तक मेमोरेंडम कथन की परिस्थिति का प्रश्न है, अभियोजन के अनुसार मेमोरेंडम (प्रदर्श पी/5) दिनांक 14.2.95 को अभिलिखित किया गया था। प्रदर्श पी/5 में, मेमोरेंडम के समय के पृष्ठांकन के लिए छोड़े गए स्थान पर कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। मेमोरेंडम के अंतिम भाग में अलग बॉल-पेन से स्पष्ट रूप से हेरफेर किया गया है और यह जोड़ा गया है कि .....तथा पत्थर जाता ओर चादार कथरी पैरोटी में छिपाकर रखा हूँ..... इसके अतिरिक्त, इस प्रकटीकरण कथन पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पूर्वोक्त मेमोरेंडम (प्रकटीकरण कथन) के परिणामस्वरूप तैयार किए गए बरामदगी *पंचनामा* (प्रदर्श पी/4) में भी यही स्थिति है। इस पर भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। गरीबदास (अभियोजन साक्षी-1), जो मेमोरेंडम का साक्षी है, पक्षद्रोही हो गया है। उसने न तो प्रकटीकरण कथन को सिद्ध किया और न ही शव की बरामदगी को। यह सब अपीलार्थी की निशानदेही पर शव की बरामदगी के तथ्य पर संदेह उत्पन्न करता है। प्रकटीकरण कथन का दूसरा साक्षी घसिया राम (अ.सा.-4) है। उसने मेमोरेंडम और शव की बरामदगी के बारे में साक्ष्य दिया है और उसने कपड़ों तथा पत्थर की जब्ती के संबंध में भी कथन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) **<u>जैक्करण सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, एआईआर 1995 एससी 2345</u>** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत दर्ज प्रकटीकरण कथन पर अभियुक्त के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का न होना, उस प्रकटीकरण कथन की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को तात्विक रूप से कम कर देता है।" अतः, अपीलार्थी द्वारा किया गया प्रकटीकरण कथन और उसके परिणामस्वरूप की गई जब्ती संदेहास्पद प्रतीत होती है।

(11) मानचित्र (प्रदर्श पी/11) के अनुसार, घुरवा अपीलार्थी के घर से 113 फीट की दूरी पर स्थित था। यह एक खुले स्थान पर था और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह केवल अपीलार्थी के अनन्य आधिपत्य में था। अतः, वह अन्य व्यक्तियों के लिए भी सुलभ था। ऐसी स्थिति में, घुरवा से शव की बरामदगी का श्रेय अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता (अर्थात इसके लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता)। अपीलार्थी की निशानदेही पर रक्त रंजित कपड़ों और पत्थर की कथित जब्ती का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसी कोई न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है

जो यह दर्शित कर सके कि इन वस्तुओं पर पाए गए रक्त जैसे धब्बे वास्तव में रक्त ही थे, मानव रक्त होना तो दूर की बात है।

(12) विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने यह तर्क दिया है कि केवल अपीलार्थी के पास ही मृतका की हत्या करने का हेतुक था, क्योंकि वह मृतका की संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकारी होता। हेतुक की सुसंगति का महत्व मुख्य रूप से किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। किसी भी अन्य परिस्थिति की भांति, हेतुक की परिस्थिति को भी सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध किया जाना चाहिए और यह हत्या जैसे अपराध को कारित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के परिशीलन पर, हम पाते हैं कि 'हेतुक' का साक्ष्य अस्थिर है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी के पास मृतका की हत्या करने का हेतुक था, तो भी पूर्वोक्त विवेचना के आलोक में केवल हेतुक ही, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) पूर्वोक्त कारणों से, हम पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के उपर्युक्त समूह के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित नहीं थीं। परिस्थितियाँ निर्णयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थीं, तथा वे स्पष्टीकरण योग्य थीं और पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं थी।

(14) परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 201 के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Vartika Verma